न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–80 / 2009

उनवान

1. श्रीमति मुरली पुत्री स्व0 श्री गुल्लाराम, पत्नि श्री बोदूराम, जाति जाट(पलसानिया), निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीया

बनाम

1. रामनाथ पुत्र स्व0 श्री गुल्लाराम(मृतक दौराने दावा)
   1/1 हरिशंकर पुत्र स्व0 रामनाथ
   1/2 श्रीमति सेडी देवी पत्नि स्व0 रामनाथ
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तह0 चौमूं जिला जयपुर।
   1/3 श्रीमति काना देवी पत्नि सुगलचन्द, पुत्री स्व0 रामनाथ
   1/4 श्रीमति सरोज देवी पत्नि कैलाश चाहर पुत्री स्व0 रामनाथ
   समस्त जाति जाट, नि0 ग्राम तिगरिया, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
2. सेडू पुत्र स्व0 श्री गुल्लाराम(मृतक दौराने दावा)
3. श्रवण पुत्र स्व0 गुल्लाराम।
4. रघुनाथ पुत्र स्व0 श्री गुल्लाराम(मृतक दौराने दावा)
   4/1 श्रीमति सन्तोष देवी पत्नि स्व0 रघुनाथ
   4/2 प्रकाश पुत्र रघुनाथ
   4/3 सुनिता पुत्री रघुनाथ
   4/4 ममता पुत्री रघुनाथ
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
5. श्रीमति गंगा देवी पुत्री स्व0 श्री गुल्लाराम, पत्नि श्री हरदेव नैरा, हाल नि0 ग्राम तिलोकपुरा श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
6. श्रीमति बिदामी देवी पुत्री स्व0 गुल्लाराम, पत्नि कालूराम, खोखर, जाति जाट, निवासी ग्राम हनुतिया, राडावास, तह शाहपुरा, जिला जयपुर
7. रामगोपाल पुत्र गौरु, जाति जाट, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तह चौमूं, जिला जयपुर।
8. अर्जुन पुत्र स्व0 भूरा
9. महेश पुत्र स्व0 भूरा
10. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 भूरा
    जाति जाट, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तह चौमूं जिला जयपुर।
11. श्रीमति मुरली बेवा भूरा, जाति जाट, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तह चौमूं, जिला जयपुर
12. श्रीमति झूंथी देवी पुत्री स्व0 भूरा, पत्नि भगवान जी शेरावत, जाति जाट, नि0 हाल ग्राम हाडौता, बडी ढाणी तह चौमूं, जिला जयपुर।
13. श्रीमति कमला देवी, पुत्री स्व0 भूरा, पत्नि नाथूजी शेरावत, जाति जाट, हाल निवासी ग्राम हाडोता, बडी ढाणी, तह चौमूं, जिला जयपुर।
14. श्रीमति ज्ञानी देवी पुत्री स्व0 भूरा, पत्नि भगवान जी बलौदा, जाति जाट, निवासी ग्राम सान्तवाली ढाणी, तह शाहपुरा, जिला जयपुर
15. श्रीमति बिमला देवी पुत्री स्व0 भूरा, पत्नि श्रवण जी बोबास्या, जाति जाट, हाल निवासी ग्राम समरपुरा तह चौमूं, जिला जयपुर।
16. सीताराम पुत्र सेडू जाति जाट, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी तह चौमूं, जिला जयपुर।

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

17. जयपुर नागौर ग्रामिण आंचलिक बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा ईटावा भोपजी, तह चौमूं, जिला जयपुर।
18. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा तिगरिया, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
19. श्रीमान उप–पंजियक महोदय, उपपंजियक कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
20. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
21. श्रीमति प्रभाती देवी पत्नि रामगोपाल, जाति जाट, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तह चौमूं जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
वादिया की और से अधिवक्ता श्री पवन कुमार प्रजापति
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 व 16 की ओर से अधिवक्ता श्री सी0एल0जिन्दल
प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 15 व 17 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

सहायक कलक्टर चौमूं

दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्थी व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक :–31.07.2019

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम ईटावा भोपजी तहत पटवार हल्का ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि आराजियात गत खाता संख्या 218/1 साबिक नम्बर 3/1/2 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, 3/1/4 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 15, 16, 17/3 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, 17/1 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, 20/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 21/2, 22, 23/1 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा, जिनके बने हाल खाता संख्या 394 खसरा नम्बर 125 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 172 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 190 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 193 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 195 रकबा 0.82 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 201 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 205 रकबा 1.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल किता 19 का कुल रकबा 9.50 हैक्टेयर ही विवादग्रस्त आराजीयात है।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 एक ही पिता की सन्तान हैं जिनका राजरा खानदान निम्नानुसार है।

गुल्लाराम पुत्र भोमाराम(फौत)

रामनाथ	रोड़ू	श्रवण	रघुनाथ	गंगा देवी	मुरली	बिदामी
..........पुत्रान्..........				..........पुत्रियान्..........		
प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4				प्रति.सं.5	वादीया	प्रति.सं.6

वादग्रस्त आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की पुश्तैनी भूमि है जो प्रारम्भतः हमारे पूर्वज भोमा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही व बाद इन्तकाल भोमा पिता वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 व पिता वादीया के भाई गौरु के नाम दर्ज रिकार्ड रही। स्व0 श्री गुल्लाराम पुत्र भींवाराम के यहां जन्म लेने से गुल्लाराम के खातेदारी अधिकारों में रही पुश्तैनी भूमि में बाद इन्तकाल गुल्लाराम के वादीया के निहित हिस्से के इन्द्राजात की जानकारी जब भी वादीया ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 से चाही तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने सदैव वादीया का हिस्सा उक्त पुश्तैनी वादग्रस्त आराजियात में निहित व सुरक्षित होने की सांत्वना वादीया को देते हुए वादीया को सन्तुष्ट किया गया अतएव वादीया अपने भाईयों के विश्वास में रही किन्तु गत माह जब वादीया ने उक्त पुश्तैनी भूमि में निहित अपने हिस्से के इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड में होने की स्वयं जानकारी हेतु का आग्रह किया तब वादीया को विदित हुआ कि वास्तव में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने बाद इन्तकाल पिता वादीया, वादीया तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 के हित में बरवक्त फौती नामान्तकरण कोई अंकन नहीं करवाते हुए स्वयं अपने नाम ही पिता वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण खुलवाया गया जिसका की प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को वैधानिक अधिकार नहीं था किन्तु राजस्व कुनानों की मिलीभगत से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 का नाम फौती नामान्तकरण खोले जाने के समय राजस्व इन्द्राज से हटवा दिया गया।

वादीया द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 से उक्त वादग्रस्त आराजियात में अपने हिस्से के इन्द्राजात करवाने का पुनः आग्रह किया तो पूर्व तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने आश्वासन दे वादीया को सन्तुष्ट कर दिया किन्तु दिनांक 30.01.2009 को पुनः कहे जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने स्पष्ट इन्कार करते हुए उक्त वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि में कोई हिस्सा नहीं देने का ऐलान कर देने पर वादीया द्वारा हल्का पटवारी से जमाबन्दी व पुराने दस्तावेजी साक्ष्य जुटाये जाकर वाद हाजा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुकदमा नं0 [illegible]
बेनाम : श्रीमती मुन्नी बनाम [illegible] वगैरह
निर्णय दिनांक : [illegible]

प्रस्तुत वाद मे वादीया द्वारा भिन्न अनुतोष चाहा गया है कि वादग्रस्त पुश्तैनी आराजियात मे निहित स्वर्गीय मुन्नाराम पुत्र मोमाराम के हिस्से मे से निहित वादीया के हिस्से की घोषणा किए जाते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश प्रदान किये जावे तथा बाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाए जाते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने वाद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 उक्त वादग्रस्त आराजियात मे निहित स्व0 मुन्नाराम के खातेदारी भूमि मे निहित वादीया के हिस्से की हद तक भूमि के अंशमात्र का भी बेचान किसी दीगर को नहीं करे, ना ही मौके पर किसी अजनबी को काबिज कर कब्जा संभलावें, ना ही वादग्रस्त आराजियात के मौके पर कोई निर्माण कार्य करें ना ही किसी संस्था को रहन या गिरवी करें, ना ही प्रतिवादी संख्या 19 उक्त वादग्रस्त आराजियात बाबत पेश किसी विक्रय अथवा अन्य विलेख को तस्दीक करें ना ही प्रतिवादी संख्या 20 राजस्व रिकॉर्ड मे कोई परिवर्तन करें व ना ही उक्त समस्त प्रतिवादीगण उक्त समस्त कृत्य अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन या अधिनस्थ कर्मियों के जरिए करवावें।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 व 16 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादीया द्वारा विगत वर्षों मे कथित रूप से उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत मिन प्रतिवादीगण से कोई वार्ता की गई, ना ही उक्त कथित रूप से वादग्रस्त आराजीयात के किसी हिस्से अथवा भाग हेतु कोई दावेदारी की गई, ना ही उक्त कथित रूप से वादग्रस्त आराजीयात के किसी हिस्से अथवा भाग हेतु कोई दावेदारी की गई चूंकि पिता वादीया व मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के फौत हो जाने पर नियमानुसार खुले फौती नामान्तकरण पर तत्समय ना तो वादीया द्वारा व ना ही प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 द्वारा कोई आपत्ति दर्ज करवाई गयी व ना ही कोई ऐतराज पेश किया गया अतएव तत्समय प्रचलित प्रथा एवं नियमों के आधार पर नामान्तकरण सही खोला गया जो अब तक बदस्तूर कायम है।

वादीया के मन में केवल और केवल हालिया दौर में कृषि भूमियों की कीमतों मे हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप फितूर उत्पन्न हो गया एवं कृषि भूमियों की हालिया कीमतों के मद्देनजर वादीया अनाधिकृत ही मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी अधिकारों की भूमि पर अपना हक जता माननीय न्यायालय से येन केन प्रकारेण रिलिफ प्राप्त कर कृषि भूमियों का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर अवैध लाभ अर्जित कर लेने की कोशिश है जबकि वादीया का उक्त कथित रूप से वादग्रस्त आराजीयात पर न तो खातेदारी अधिकार है ना ही भौतिक रूप से कभी कब्जा काश्त रहा है न है।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

वाद वादीया प्रथमतः बिना कब्जे व खातेदारी अधिकार के काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होने से सरसरी तौर पर ही खारिज किया जाने योग्य है। वास्तविक वस्तुस्थिति यह है कि करीब 28 वर्ष पूर्व बाद इन्तकाल पिता वादीया एवं मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 जबकि दिवंगत पिता के हिन्दू रीति रिवाजानुसार अन्तिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्व होने जा रही थी समस्त उपस्थित नाते रिश्तेदारों एवं हक भाई बहिनों की उपस्थिति में हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की बहनों क्रमशः स्वयं वादीया, प्रतिवादीया संख्या 5 व प्रतिवादीया संख्या 6 द्वारा अपने पिता द्वारा छोडी गई कृषि भूमियों व अन्य अचल सम्पत्ति में निहित अपना अपना हक सभी मौजिज लोगो के समक्ष हम भाईयों अर्थात प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के हित में त्याग कर दिया जाकर यह सुनिश्चित किया गया था कि भविष्य में हक बहनो के परिवारो में व बहिनो के बच्चो के लिए रीति रिवाजों के अनुसार होने वाले समस्त सामाजिक कार्यों हेतु होने वाले व्यय का भार हमारे भाई अर्थात् मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 द्वारा वहन किए जावेंगे जो उत्तरदायित्व मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 बखूबी निबाहते चले आये है व निभा रहे है व जिस सम्बन्ध में विगत वर्षों में स्वयं वादीया अथवा प्रतिवादीयागण संख्या 5 व 6 द्वारा कभी कोई ऐतराज या उलाहना नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 अपनी जिम्मेदारिया भलीभांति निबाहते चले आये है व आगे भी निबाहते रहेंगे।

तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार कार कूनानो द्वारा नियमानुसार पिता वादीया एवं मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा छोडी गई पुश्तैनी कृषि भूमि की खातेदारी जरिए फौती नामान्तकरण मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम कर दी गई जिस पर किसी के द्वारा कोई उज्रदारी या ऐतराज पेश नहीं किया गया जो भी इस बात का द्योतक है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 इस पर सहमत रही है अन्यथा ऐतराज उजागर कर दिया गया होता।

हालिया दौर में जमीनों की कीमतो में वृद्धि के मद्देनजर अवैध लाभ अर्जित कर लेने की गरज से जरिए वाद हाजा उठाया गया वादीया का दावा कतई न्यायोचित नहीं है एवं विगत 28 वर्षो में कोई कब्जा काश्त अथवा उपयोग उपभोग नहीं होने के लॉजिकल आधार पर वाद वादीया विरुद्ध मिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 एवं अन्य बेअसर बेबुनियाद होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाए जाने योग्य है।

न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के निस्तारित हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादीया वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित विवादित आराजियात वाके ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित कुल किता 19 का कुल रकबा 9.50 हैक्टेयर, में वादिया व प्रतिवादियागण संख्या 1 ता 6 की पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादीया के

सहायक कलक्टर
चौमू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

पिता के हिस्से में वादिया अपने अपने हिस्से की घोषणा व इन्द्राजात दुरुस्त करवाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादिया।

2. आया वादिया अपने हिस्से तक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को सरपज की रिलीफ 13(ख) के अनुसार पाबन्द करवाने की अधिकारी है।

जिम्मे वादिया।

3. आया वादपत्र बिना वाद कारण के पेश किया गया है अतः खारिज योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 व 16

4. आया वादिया का विवादग्रस्त आराजियात पर कभी कोई कब्जा व खातेदारी नहीं रही। अत दावा खारिज योग्य है।

जिम्मे प्रति. 1 ता 6 व 16

5. आया विवादग्रस्त आराजियात का नामान्तकरण 28 वर्ष पूर्व विधि अनुरुप सबकी सहमति से खुला था जिसमें वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक में त्याग किया था।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 16

6. दादरसी

यह कि वादिया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रर्दश 1 कुर्सीनामा प्रर्दश 2 जमाबन्दी सं. 2063 से 2066 तक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा गवाह के रुप में PW1, स्वयं वादिया मुरली देवी PW2, पुष्कर को न्यायालय के समक्ष परिक्षित करवाये गये। तथा वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया गया तथा प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय के समक्ष दस्तावेजात के रुप प्रर्दश A1 लगायत प्रर्दश A6 प्रदर्शित करवाये गये तथा गवाह के रुप में गवाह DW1, लगा. DW6 न्यायालय के समक्ष परिक्षित करवाये गये तथा वाद पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया। वादीया व प्रतिवादीगण द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसे शामिल मिशल किया जाकर अवलोकन किया गया।

यह कि उक्त वाद पत्र के निस्तारण के लिए हमे तनकीवार निर्णय देना आवश्यक है तथा प्रत्येक तनकी को अलग अलग रुप से निर्णित किया जावेगा।

1. तनकी संख्या 1 :– यह कि तनकी को साबित करने का भार वादिया पर रहा है। तथा वादिया द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजियात वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 6 की पुश्तैनी भूमि है जो परम्परागत हमारे पूर्वजीवी भोमा की

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही, बाद इन्तकाल भोमा पिता वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 व पिता वादिया के भाई प्रतिवादीगण 1 ता 4 के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही तथा वादिया स्वयं न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित रही जिसने दौराने जिरह कथन किया है कि

वादिया द्वारा अपनी जिरह में शपथ पत्र में प्रभावी बाते मुझे ध्यान नहीं है, खसरा नम्बर के बारे में मैं नहीं जानती हू। दावे में जो खसरा नम्बर लिखे है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। उक्त प्रकरण वादिया को विवादग्रस्त विषयवस्तु के बारे में अज्ञानता बता रही है। साथ ही वादिया अपने आप को अपने ससुराल में निवास करने के बारे में कथन करती है। तथा वादिया अपने हिस्से को भाइयों के पक्ष में मौखिक त्याग के बारे में भी इन्कार नहीं करती है। साथ ही वादिया आपने आप को लगान की राशी के बारे में भी अनभिज्ञता दर्शाती है तथा लगान की राशी का भी खुलासा नहीं कर रही है। उक्त गवाह सं0 1 द्वारा कब्जा के बारे में यह कथन किया कि कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का है। इन भूमि पर कब्जा होने के बारे में अपनी जिरह से इन्कार नहीं किया गया साथ ही यह गवाह अपनी जिरह में कथन करती है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कब्जा मेरे पिताजी को मरने के बाद है। गवाह द्वारा अपनी जिरह में कथन किया है कि वादिया व प्रतिवदीगण के मध्य आपसी लेन देन का विवाद है जिसको लेकर यह वाद किया गया है।

गवाह द्वारा अपनी जिरह में कथन किया है कि मेरे दादाजी का नाम भौमा था। भौमा के चार पुत्र थे। नाम याद नहीं है। भौमा के बाद जमीन गौरु के नाम हो तो मुझे पता नहीं होना प्रकरण गवाह अपने सजरा खानदान व वारिसान के बारे में भी जानकारी से इन्कार करती है। गवाह वादिया द्वारा अपनी जिरह में कथन किया कि गौरु की जमीन प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम करवायी थी तब मैने रुपये दिये थे। उस समय मैं पैंतीस हजार रुपये दिये थे। मेरे भाइयों के हिस्से के दिये थे। इस प्रकार वादिया द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जमीन खरीद करने के लिए पैसे देने के बारे में बताया गया है साथ ही उक्त गवाह द्वारा स्वयं पैसों को लेकर विवाद होने के बारे में कहा गया है तथा उन्हीं पैसों को लेकर विवाद होने के बारे में कहा गया है। गवाह वादिया जिरह में कथन करती है कि प्रर्दश A2 में मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा पिता का नाम गुल्ला था इस प्रकार उक्त ग्वाह द्वारा प्रर्दश A2 को साबित करने में समर्थ रही साथ ही यह गवाह आपस में पैसो के विवाद को लेकर लडाई बताती है तथा पेसे नहीं देने के कारण हिस्सा मांगने की बात कहती है।

उक्त गवाह द्वारा कथन किया है कि उक्त खसरा नम्बर में बिजली का कनेक्शन किस किस व्यक्ति के नाम है ध्यान नहीं है। बिल प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 ही देते है।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

हमारा उक्त जमीन पर कब्जा नहीं है। इस प्रकार यह ग्वाह अपने वाद पत्र को साबित नहीं कर पाई है साथ ही उक्त ग्वाह द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात को भी साबित नहीं किया गया है। मेरी विनम्र राय में मै मानती हूं कि यदि किसी दस्तावेजात पर प्रर्दश मार्क अंकित किया जाता है तथा उसे अपनी मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित नहीं किया जाता है तो वह दस्तावेज जब तक मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित नहीं कर दिया जावे उन्हें न्यायालय द्वारा साबित नहीं मानना चाहिए वादिया द्वारा भी अपने उक्त वाद पत्र में जो दस्तावेजात प्रर्दश करवाये गये है उक्त समस्त दस्तावेजात को मौखिक साक्ष्य से अंकित नहीं किया गया है ना ही ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उक्त विवादग्रस्त आराजीयात उनके दादा परदादा की भूमि हो जो कि उनकी पैतृक हो, जिस कारण भी तनकी को साबित करने में वादीया असफल रही है।

यह कि वादिया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में PW2 के रुप में पुष्कर का न्यायालय के समक्ष परिक्षित करवाया गया है। ग्वाह द्वारा अपनी जिरह में कथन किया है कि विवादित सम्पति के दस्तावेजात याद नहीं है। इस भूमि को कौन बाते है उन खातेदारों को में जानता हूं जो रामनाथ सेडू श्रवण रुघनाथ है उसके अलावा गोपाल, नारायण, भूराराम भी बोते है यही ध्यान है 1 ता 16 प्रतिवादी अपने हिस्से पर काबिज है और बुवाई, जुताई करते है। इस प्रकार उक्त गवाह प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त भूमि पर काबिज होने के बारे में कथन करता है। तथा वादिया के उक्त भूमि पर काबिज नहीं होने के बारे में कथन करता है। उक्त गवाह कथन करता है कि कागज मैंने(सभी) निकलवाये है, शुरु में गौरु के नाम भी मैं गौरु को नहीं जानता। गौरु से जमीन आया हो तो मुझे ध्यान नहीं है। यह जमीन गुल्लाराम की जमीन है। गुल्लाराम के जमीन कहां से आयी पता नहीं है। इस प्रकार यह गवाह गुल्लाराम के जमीन कहा से आयी इसके बारे में नहीं बता पाया। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा वादिया के वाद पत्र में वर्णित विवाद ग्रस्त आराजियात द्वारा वादिया के वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजियात के पुश्तैनी होने के बारे में साबित नहीं कर पाया है।

चूंकि वादिया स्वयं व वादिया के गवाह PW2 द्वारा उक्त तनकी को साबित करने में असफल रहे है तथा वादग्रस्त आराजियात को पुश्तैनी साबित नहीं कर पाये है लेकिन फिर भी इसका लाभ कतई प्रतिवादीगण को नही दिया जा सकता। प्रतिवादीगण द्वारा जो दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष गवाह प्रदर्शित करवाये गये है उक्त गवाह संख्या 1 श्रीमति गंगा देवी द्वारा अपनी साक्ष्य की प्रतिरक्षा में कथन किया है कि जमीन के खसरा नम्बर मैं नहीं जानती हूँ। पिताजी का नाम गुल्ला है। जमीन का नामान्तकरण भाइयों के नाम खुला था। हम इन्कार हो गये थे कि हमको जमीन नहीं चाहिए। इस प्रकार यह गवाह विवादग्रस्त

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

आराजियात में अपने हक की मांग को लेकर नामान्तकरण के समय इन्कार करती है। तथा विवादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण अपने भाईयों के पक्ष में खोलने की सहमति दर्शाती है। यह ग्वाह कथन करती है कि जमीन भाई वोते है इस प्रकार उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना दर्शाता है।

DW2 के रुप में न्यायालय के समक्ष गवाह विदामी देवी को न्यायालय के समक्ष परिक्षित करवाया गया है जिसके द्वारा अपनी जिरह में कथन किया है कि जमीन कितनी है मुझे पता नहीं है उक्त भूमि के खातेदार मेरे भाई ही है। कोर्ट में मेरे भाईयों ने ही लाया है, बयान का शपथ पत्र मेरे कहे अनुसार ही लिखवाया है। न्यायालय के समक्ष DW3 श्रवण कुमार न्यायालय के समक्ष परिक्षित करवाये गये है जिनके द्वारा दौराने जिरह कथन किया गया कि उक्त भूमि के खसरा नम्बर मुझे याद नहीं है यह नामान्तकरण मेरे गांव ईटावा भोपजी में खुला था। यह भूमि पहले मेरे पिता के नाम थी एवं मेरे पिता से पहले मेरे दादा के नाम थी, जिस समय नामान्तकरण खुला उस समय मुरली देवी के हस्ताक्षर नहीं हुए थे। इस प्रकार यह ग्वाह उक्त भूमि को अपने पिता व दादा से प्राप्त करने के बारे में कथन करता है। तथा पिता व दादा कि उक्त भूमि को प्राप्त करने के बारे में कहते है। आगे यह गवाह कथन करता हैं कि बहनों के हक त्याग का कोई कागज पेश नहीं किया गया है क्योंकि पहले लिखित कार्यवाही नहीं होती थी। इस प्रकार उक्त ग्वाह त्याग के सम्बन्ध में कहता है लेकिन त्याग से सम्बन्धित दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना नहीं बताता है। यह गवाह आगे कथन करता है कि यह जमीन हमारी पैतृक सम्पति रही हैं यह सही हे कि उक्त भूमि मेरे दादा भीवांराम के नाम थी। मेरे पिता के नाम थी और अब हमारे नाम चल रही हैं इस प्रकार यह ग्वाह उक्त और अब हमारे नाम चल रही है। इस प्रकार यह ग्वाह उक्त विवादग्रस्त आराजियात को पुश्तैनी बताता हैं यह ग्वाह आगे कथन करता है कि जिस समय हमने बिजली का कनेक्शन लिया उस समय हमने तीनों बहनों का नाम जमाबन्दी में नही होने से सहमति नहीं जी गयी थी। लिखित में कोई हस्ताक्षर नहीं करवाये गये जबकी मौखिक सहमति थी। इस प्रकार यह गवाह अपनी भूमि में पुश्तैनी होने के बारे में इन्कार नहीं कर रहा लेकिन उक्त भूमि को पुश्तैनी होना भी नहीं बता रहा है।

यह कि न्यायालय के समक्ष ग्वाह DW4 सेडूराम परिक्षित किये गये है जिसके द्वारा दौराने जिरह कथन किया है कि जमीन मेरे द्वारा मोल ली हुई है। उक्त भूमि मेरे द्वारा हनुमान पुत्र गोमाराम कि ईटावा भोपजी से जरिये विक्रय पत्र की है यह सही है कि मैने जो जमीन खरीदी उनका कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। जिसमें उक्त गवाह विवादित सम्पति को अपनी खरीद शुदा सम्पति साबित करने में सफल नहीं रहा है, नाही

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

गवाह ने ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित होता है कि उक्त सम्पति पैतृक सम्पति नहीं होकर स्वअर्जित सम्पति रही है। उक्त गवाह आगे अपनी जिरह में कथन करता है कि बहनों के द्वारा हक त्याग किया हुआ कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। मौखिक बात हुई थी क्योंकि पहले लिखकर नहीं होती थी इस प्रकार उक्त गवाह मौखिक हक त्याग कोई थी साबित करने में असफल रहा है। ना ही ऐसी हक त्याग सम्बन्धित कोई लिखावट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसमें यह साबित होता है कि वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक में हक त्याग कर दिया गया है कि यह जमीन गौरा व गुल्ला पुत्र भौमा के नाम से चली आ रही है जिसमें भी यह भलीभांति साबित होता है कि उक्त सम्पति पुश्तैनी रही है। उक्त ग्वाह द्वारा न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि यह कहना सही है कि उक्त भूमि पर मन्दिर माफी का नोट है और यह कहना सही है कि मन्दिर के नीचे है यह जमीन इस प्रकार यह ग्वाह उक्त भूमि को पैतृक सम्पति नहीं होने के तथ्यों को साबित करने में असमर्थ रहा है।

यह कि न्यायालय के समक्ष गवाह DW5 के रुप में हरिशंकर भिण्डा परिक्षित किये गये है जो ग्वाह अपनी जिरह में कथन करता है कि यह सही है कि मेरे दादाजी गुल्लाराम के नाम से यह खातेदारी दर्ज थी। मेरे पिताजी रामनाथ जी चाचाजी सेडूराम जी श्रवण जी और रुघनाथजी के नाम नामान्तकरण खुला था। इस प्रकार उक्त गवाह उक्त भूमि को पैतृक भूमि होने के तथ्य से इन्कार नहीं करता आगे यह ग्वाह सहमति के आधार पर विवादित सम्पति के नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक में खुलाने बाबत् कहता है तथा लिखित में बुआजीओं द्वारा हक त्याग करने के तथ्य से इन्कार करता है इस प्रकार उक्त गवाह अनुसार भूमि पैतृक रही तथा वादिया द्वारा हक त्याग नहीं करना साबित है।

यह कि न्यायालय के समक्ष गवाह DW6 के रुप में सीताराम न्यायालय के समक्ष परिक्षित किये गये है जिसके द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में पेश किया गया है जो विक्रय पत्र है। जिरह में उक्त गवाह कथन करता है कि नामान्तकरण मेरे द्वारा फाईल में पेश नहीं किया है। यह सही है कि नामान्तकरण कब खुला मुझे पता नहीं है। मेरे दादाजी का नाम गुल्लाराम था, हनुमान पुत्र गोमा से खरीदी थी। इस प्रकार उक्त गवाह उक्त विवादित सम्पति को हनुमान पुत्र गोमा से खरीद करना बताता है। तथा स्व0अर्जित भूमि होने बाबत् कथन करता है। आगे यह गवाह कथन करता है कि मेरे अलावा रामनाथ, श्रवण, रुघनाथ ने भी करवायी थी मुझे पता नहीं है कि कितनी करवायी थी, 14.09.1995 में करवायी थी। इस प्रकार उक्त गवाह विवादित सम्पति को स्वयं द्वारा व अन्य प्रतिवादी संख्या खरीद करना बताता है तथा उक्त विवादित सम्पति स्व0 अर्जित सम्पति साबित होती है। आगे यह कथन

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

करता है कि विक्रय पत्र में मेंरा नाम है इस विक्रय पत्र में मेरा हस्ताक्षर नहीं है। मेरा अंगुठा निशानी है मै उक्त समय नाबालिक था इस लिए हस्ताक्षर नहीं किये। मै उस समय 8 वर्ष का था। यह ग्वाह यह कथन भी करता है कि जमीन 39500 रुपये में खरीदी थी। इस प्रकार यह ग्वाह उक्त ग्वाह के बयान से यह भलीभाति साबित होता है कि विवादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की स्व0अर्जित भूमिया रही है तथा उनके द्वारा स्वयं के पैसे से खरीद की गई है तथा उक्त भूमियों पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 लगातार काबिज काश्त रहकर अपना उपयोग उपभोग कर लाभ उठाते चले आ रहे है। तथा सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त कर रखा है। वादिया द्वारा विवादित आराजियात का पुश्तैनी होने के बारे में ना तो न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज ना ही मौखिक साक्ष्य से यह साबित कर पायी है कि उक्त विवादित आराजियात पुश्तैनी भूमि रही है जबकि न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में पेश किया गया है जिस दस्तावेज को वादिया द्वारा पैतृक सम्पति का दस्तावेज होने के तथ्य को साबित करने में असफल रही है। उक्त समस्त गवाहन व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवादित सम्पति प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की स्वअर्जित भूमि नही है। जिसको प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा अपनी स्वयं की आय से क्रय किया गया है तथा स्वयं उपयोग उपभोग कर रहे है। अतः उक्त तनकी को वादिया अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही है । यह तनकी विरुद्ध वादिया निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2</u> :– यह कि वादिया द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजों से उक्त विवादित आराजियात पर काबिज होने के तथ्य को साबित करने में असफल रही है तथा वादिया द्वारा स्वयं अपनी साक्ष्य में यह माना गया है कि उक्त विवादित आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 काबिज काश्त रह कर उपयोग उपभोग कर लाभ उठाते चले आ रहे है तथा उनके द्वारा उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त कर रखा है। वादिया द्वारा अपनी साक्ष्य में यह साबित करने में असफल रही है कि उक्त भूमि पर उसके द्वारा काबिज रहकर उपयोग उपभोग किया जा रहा है तथा उनके द्वारा इस पर काश्त की जा रही हैं। वादीया स्वयं अपने ससुराल में निवास करना बताया है जिससे भी वादिया का उक्त भूमि पर काबिज नहीं होने का तथ्य सामने आया है प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में EX-A1ता6 प्रदर्शित करवाये गया है जो दस्तावेज विवादित सम्पति को स्वयं द्वारा खरीद करना साबित करता है तथा उक्त भूमि को खरीद के पश्चात स्वयं के उपयोग का लाभ उठाने के तथ्य को साबित करता है। वादिया को उक्त भूमि के लगान सम्बन्धित जानकारी भी नहीं रही है और ना ही उक्त भूमि के खसरा नम्बर भी याद रहे है। जो तथ्य भी उक्त भूमि के सम्बन्ध में स्वय के काबिज होने के तथ्य का इन्कार करता है। इस प्रकार

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

समस्त तथ्यों के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि वादिया विवादित सम्पति के अपने स्वयं के हिस्से पर कभी भी काबिज काश्त नहीं रही है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ही काबिज काश्त रहे है तथा उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। मेरे विनम्र राय में किसी भी रिकॉर्ड खातेदार का स्थायी विषेधाज्ञा से पावन्द करना उचित नहीं होगा। जो भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है यदि रिकॉर्डेड खातेदार की स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है तो यह उसका उपयोग उपभोग नहीं कर पायेगा। तथा उसकी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाऐगा। उक्त समस्त तथ्यों को देखते हुए यह तनकी भी मेरी विनम्र राय में वादिया के खिलाफ निर्णित कि जाती है।

तनकी संख्या 3 :– यह कि उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 16 पर रहा है। वादिया द्वारा प्रस्तुत अपनी साक्ष्य व अपने ग्वाह से यह भली भांती साबित रहा हे कि वादिया व प्रतिवादी के मध्य पैसों को लेकर विवाद रहा है जिन पैसों के बारे में वादिया के लडके गवाह PW2 व प्रतिवादी 1 ता 4 के मध्य विवाद होने पर प्रतिवादी 1 ता 4 के खिलाफ वादिया के लडके द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात में अपने हक को लेकर दबाव बनाने के उद्देश्य से उक्त वाद प्रस्तुत करना साबित होता है तथा वादिया के लडके द्वारा भी अपनी मौखिक साक्ष्य में इस तथ्य से इन्कार नहीं किया गया है कि उनके व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य पैसो की बात को लेकर विवाद रहा है। इस प्रकार समस्त ग्वाह के बयानों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा हैं कि वादिया का वास्तविकता से कोई भी वाद कारण उक्त सम्पति को लेकर वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य कभी भी उत्पन्न नहीं रहा है। मेरी विनम्र राय में ऐसी कोई वाद कारण वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य उत्पन्न नहीं होने के कारण यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 16 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :– यह कि उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 16 का है। वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादिया द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वयं यह कहा गया है कि उसका विवाह 5 वर्ष की आयु में कर दिया गया था तथा वह अपने विवाद के पश्चात अपने ससुराल में निवास करती चली आ रही है तथा उक्त भूमि पर पहले उसके पिताजी तथा उनके पिताजी के बाद उनके भाई प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 काबिज काश्त रहकर लाभ उठाते चले आ रहे है तथा उनके द्वारा ही उक्त भूमि पर कृषि कनेक्शन प्राप्त कर रखा है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य भी भली भांती साबित रही है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा उक्त भूमि को हनुमान पुत्र भोमा से खरीद की गई है जिसका विक्रय पत्र न्यायालय के समक्ष प्रदर्श A6

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

के रुप से प्रदर्शित करवाया गया है जिस विक्रय पत्र के मुताबिक भी उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का ही कब्जा काश्त है तथा वह ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। समस्त गवाह व दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्म विवेचन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा हैं कि वादिया का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा है और ना ही कभी वादिया द्वारा उक्त भूमि का उपयोग उपभोग किया गया है। मेरी विनम्र राय में यह तनकी भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 16 कि हक में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5:– यह कि उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 16 का रहा है लेकिन वादिया की साक्ष्य को उक्त प्रकरण में उक्त तनकी को निर्णित करने के जिरह देखी जावे तो वादिया द्वारा अपनी जिरह में बताया है कि मैं ससुराल में रहती हू और वादिया कथन करती है कि मेरा हिस्सा भाईयो को त्याग दिया है तो पता नही, मौखिक हक त्याग के बाद सामाजिक रिती रिवाज हिन्दू रिवाज के अनुरुप भाई निभा रहे है, विवादित भूमि पर पहले से ही काबिज थे। इस पर वादिया की जिरह से यह तथ्य साबित होता है कि वादिया का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा तथा वादिया द्वारा अपने सगे भाईयों के हक में अपनी सहमति से जरिये मौखिक हक त्याग करने पर उक्त भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक में खोला गया है जिसकी ताईद गवाह संख्या 5 अर्थात् वादिया की बहन द्वारा अपनी जिरह में तथा शपथ पत्र में मौखिक हक त्याग की बात स्वीकार की है जिसे वादिया द्वारा अपनी जिरह में भी भाईयों से लेन देन का विवाद होने व पैसे नहीं देने के कारण वादपत्र प्रस्तुत करने का कथन किया है तथा वादपत्र के माध्यम से पैसे लेने बाबत कथन किया है। तथा अपनी जिरह में स्पष्ट कथन किया है कि हमारे तो सिर्फ लेन–देन की ही लडाई है मेरे तो मेरे पैसे नहीं देते है इसलिये मै हिस्सा मांगती हूं। इस प्रकार यदि वादिया की साक्ष्य को देखा जाये तो यह तथ्य निकलकर सामने आया है कि वादिया व प्रतिवादी के मध्य पैसों को लेकर विवाद रहा है जिसके चलते वादिया द्वारा यह वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा वादिया का उक्त विवादित सम्पिति के बाबत् अपने पिता की मृत्यू के बाद खुल नामान्तकरण की शुरु से जानकारी रही है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य देखी जाये तो दस्तावेज प्रर्दश A6 प्रतिवादी द्वारा स्वयं खरीद करना पूर्णतया साबित होता है तथा स्वयं द्वारा विवादित सम्पति को खरीद करने के कारण उक्त तनकी का कोई महत्व नही रह गया है। ऐसी स्थिति में मेरी विनम्र राय में उक्त विवादित भूमि का नामान्तकरण का कोई महत्व नही रह जाने के कारण यह तनकी भी वादिया साबित करने में असफल रही है।

तनकी नम्बर 6 दादरसी वादीया का वाद खारिज योग्य है।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

अतः वादिया द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 साबित नहीं किये जाने के कारण वाद वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से तैयार किया जावे, जो इस निर्णय का भाग रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा बंटवारा
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी –श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0–80 / 2009

सन्वान

श्रीमति मुरली पुत्री स्व0 श्री मुल्लाराम, पति श्री बोदूराम, जाति जाट(पलसानिया), निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तह0 चौमूं जिला जयपुर।

–वादीया

बनाम

1. रामनाथ पुत्र स्व0 श्री मुल्लाराम(मृतक दौराने दावा)
   1 / 1 हरिशंकर पुत्र स्व0 रामनाथ
   1 / 2 श्रीमति सेडी देवी पत्नि स्व0 रामनाथ
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तह0 चौमूं जिला जयपुर।
   1 / 3 श्रीमति कान्ता देवी पत्नि सुगनचन्द, पुत्री स्व0 रामनाथ
   1 / 4 श्रीमति सरोज देवी पत्नि कैलाश साहर पुत्री स्व0 रामनाथ
   समस्त जाति जाट, नि0 ग्राम तिमरिया, तह0 चौमूं जिला जयपुर।
2. सेडू पुत्र स्व0 श्री मुल्लाराम(मृतक दौराने दावा)
3. श्रवण पुत्र स्व0 मुल्लाराम।
4. रघुनाथ पुत्र स्व0 श्री मुल्लाराम(मृतक दौराने दावा)
   4 / 1 श्रीमति सन्तोष देवी पत्नि स्व0 रघुनाथ
   4 / 2 प्रकाश पुत्र रघुनाथ
   4 / 3 सुनिता पुत्री रघुनाथ
   4 / 4 ममता पुत्री रघुनाथ
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तह0 चौमूं जिला जयपुर।
5. श्रीमति गंगा देवी पुत्री स्व0 श्री मुल्लाराम, पत्नि श्री हरदेव नैरा, हाल नि0 ग्राम तिलोकपुरा श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
6. श्रीमति बिदामी देवी पुत्री स्व0 मुल्लाराम, पत्नि कालूराम, खोखर, जाति जाट, निवासी ग्राम हनुतिया, राडावास, तह शाहपुरा, जिला जयपुर
7. रामगोपाल पुत्र गौरु, जाति जाट, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तह चौमूं जिला जयपुर।
8. अर्जुन पुत्र स्व0 भूरा
9. महेश पुत्र स्व0 भूरा
10. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 भूरा
    जाति जाट, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तह चौमूं जिला जयपुर।
11. श्रीमति मुरली बेवा भूरा, जाति जाट, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तह चौमूं जिला जयपुर
12. श्रीमति झूंथी देवी पुत्री स्व0 भूरा, पत्नि भगवान जी शेरावत, जाति जाट, नि0 हाल ग्राम हाडोता, बडी ढाणी तह चौमूं जिला जयपुर।
13. श्रीमति कमला देवी, पुत्री स्व0 भूरा, पत्नि नाथूजी शेरावत, जाति जाट, हाल निवासी ग्राम हाडोता, बडी ढाणी, तह चौमूं जिला जयपुर।
14. श्रीमति ज्ञानी देवी पुत्री स्व0 भूरा, पत्नि भगवान जी बलौदा, जाति जाट, निवासी ग्राम मानावाली ढाणी, तह शाहपुरा, जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

15. श्रीमति बिमला देवी पुत्री स्व0 भूरा, पत्नि श्रवण जी बोबास्या, जाति जाट, हाल निवासी ग्राम समरपुरा तह चौमूं, जिला जयपुर।
16. सीताराम पुत्र सेडू जाति जाट, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी तह चौमूं, जिला जयपुर।
17. जयपुर नागौर ग्रामिण आंचलिक बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा ईटावा भोपजी, तह चौमूं, जिला जयपुर।
18. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा तिगरिया, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
19. श्रीमान उप–पंजियक महोदय, उपपंजियक कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
20. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
21. श्रीमति प्रभाती देवी पत्नि रामगोपाल, जाति जाट, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तह चौमूं जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्थी व स्थायी निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि वादिया द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 साबित नहीं किये जाने के कारण वाद वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 31.07.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .....
सहायक कलक्टर
ओहदा.....चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.11.25 13:17:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: